न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

वाद सं. 107/2017

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र घीसाराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र बींजा, जाति बलाई
2. गंगा देवी पत्नी भूराराम
3. हरबक्श पुत्र छोटूराम
4. रामलाल पुत्र बींजाराम
5. रूडा पुत्र बींजाराम
   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम बागा का बास, आलीसर, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन, कार्यालय चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक – 04.12.2019

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश, दिनांक 23.09.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से कुरेजात प्राप्त हो चुके है। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस मे कथन किया किया है कि वाद में तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमू द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नही है तथा कुरेजात अनुसार दावें को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 07.11.2019 के अनुसार स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:– यह की विवादित भूमि के हाल खाता संख्या 59 के आराजी खसरा नम्बर 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 222, 226, 229, 230, 231 का कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बागा का बास, पटवार हल्का आलीसर, भू अभि. नि. क्षेत्र हरसेडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. मोहन लाल पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण सा0 उदयपुरिया तह0 आमेर खातेदार को ख.न. 195/2 रकबा 2.9936 है0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 198/2 रकबा 0.0240 है0

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 198/4 रकबा 0.0560 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 201/2 रकबा 0.0264 है0 किस्म चाही 3 कुल किता 4 कुल रकबा 3.1000 हैक्ट.,जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, खसरा नम्बर 198/2, 201/2 किता 2 कुल रकबा 0.0504 है0 वादी को रास्ते के लिए, दी जाती है।

2. प्रभू पुत्र बीजा जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहीन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं को खसरा नम्बर 195/1 रकबा 0.5864 है0 किस्म बारानी 2 , खसरा नम्बर 198/1 रकबा 0.3700 है0 किस्म चाही 3 , खसरा नम्बर 201/1 रकबा 0.2636 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.1900 है0 किस्म चाही 3 , खसरा नम्बर 203 रकबा 0.1400 किस्म बारानी 2 कुल किता 5 कुल रकबा 1.15500 है0 जो संलग्न नजरी नक्शे में निले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

3. गंगा देवी पत्नी भुराराम हि0 1/4 रूडा पुत्र बीजाराम हि0 1/4 रामलाल पुत्र बीजाराम हि0 1/4 हरवश पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 198/3 रकबा 0.2100 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.1200 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1900 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0700 है0 किस्म चाही 3 , खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200 है0, किस्म चाही 3(0.10है0) एवं जाव 3 (0.02है0), खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0600 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1400 है0 किस्म चाही 3 खसरा नम्बर 231 रकबा 0.4700 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.1700 है0 किस्म चाही 3 कुल किता 9 कुल रकबा 1.5500 है0 जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है,, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

हिम्मत सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमूं ,जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

1. मोहनलाल पुत्र घीसाराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

बादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र बीजा, जाति बलाई
2. गंगा देवी पत्नी भूराराम
3. हरबक्श पुत्र छोटूराम
4. रामलाल पुत्र बींजाराम
5. रूडा पुत्र वींजाराम
   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम बागा का बास, आलीसर, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन, कार्यालय चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं0 107/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

4. मोहन लाल पुत्र घीसाराम जाति ब्राहम्ण सा0 उदयपुरिया तह0 आमेर खातेदार को ख.न. 195/2 रकबा 2.9936 है0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 198/2 रकबा 0.0240 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 198/4 रकबा 0.0560 है0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 201/2 रकबा 0.0264 है0 किस्म चाही 3 कुल किता 4 कुल रकबा 3.1000 हैक्ट.,जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, खसरा नम्बर 198/2, 201/2 किता 2 कुल रकबा 0.054 है0 वादी को रास्ते के लिए, दी जाती हैं।
5. प्रभू पुत्र बीजा जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहीन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं को खसरा नम्बर 195/1 रकबा 0.5864 है0 किस्म बारानी 2 , खसरा नम्बर 198/1 रकबा 0.3700 है0 किस्म चाही 3 , खसरा नम्बर 201/1 रकबा 0.2636 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.1900 है0 किस्म चाही 3 , खसरा नम्बर 203 रकबा 0.1400 किस्म बारानी 2 कुल किता 5 कुल रकबा 1.15500 जो संलग्न नजरी नक्शे में निले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
6. गंगा देवी पत्नी भुराराम हि0 1/4 रूडा पुत्र बीजाराम हि0 1/4 रामलाल पुत्र बीजाराम हि0 1/4 हरबश पुत्र छोटूराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार को खसरा नम्बर 198/3 रकबा 0.2100 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 199 रकबा 0.1200 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.1900 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.0700 है0 किस्म चाही 3 खसरा नम्बर 226 रकबा 0.1200 है0, किस्म चाही 3(0.10है0) एवं जाव 3 (0.02है0), खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0600 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.1400 किस्म चाही 3 खसरा नम्बर 231 रकबा 0.4700 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.1700 है0 किस्म चाही 3 कुल किता 9 कुल रकबा 1.5500 है0 जो संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है,, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.12.2019 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उनवान – मोहनलाल बनाम प्रभु वगै०
वाद पत्र बाबत तकरामा एव स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक 04.12.2019

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा..........

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	2		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चोमू, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह
वाद सं. 107/2017

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र घीसाराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र बींजा, जाति बलाई
2. गंगा देवी पत्नी भूराराम
3. हरबक्श पुत्र छोटूराम
4. रामलाल पुत्र बींजाराम
5. रूडा पुत्र बींजाराम
   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम बागा का बास, आलीसर, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन, कार्यालय चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 23.09.2019

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है वादी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं। जो काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषणा करता हैं। वाके ग्राम बागा का बास, पटवार हल्का आलीसर, भू अभि. नि. क्षेत्र हस्तेडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 59 के आराजी खसरा नम्बर 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 222, 226, 229, 230, 231 का कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर इस वाद पत्र में विवादित आराजीयात है जिन्हे वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नहीं किया गया है उक्त विवादित आराजीयात भूमि खाता संख्या 59 में वादी का खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग निहित है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित हैं। विवादित आराजीयात वादीएवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका की आज दिन तक भी तकासता नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार मौके पर कब्जे अनुसार काश्त कर विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात का वादी का रिकार्ड व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 59 मे वादी का खातेदारी हिस्सा 1/2 भाग का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विवादित आराजीयात को बिना विधिवत तकासमा करवायें किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करें, ना ही वादी को विवादित आराजीयात में निहित वादी के शामलात कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही कारित करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 विवादित आराजीयात बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नही करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 अपने सम्मुख प्रस्तुत किसी भी लेख पत्र या अन्य हस्तान्तरण पत्र को प्रस्तुत होने पर तस्दीक नहीं करे अर्थात उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब वाद पेश कर निवेदन किया है कि मिन प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है जिसमें आने जाने के लिए रास्ते की प्राथमिकता को देखते हुए कब्जे काश्त के अनुसार तकासमा किया जाकर मिन प्रतिवादी का पर्चा लगान अलग से कायम किया जाता है तो मिन प्रतिवादी को कोई भी आपत्ति, ऐतराज नही हैं।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद कब्जे काश्त के अनुसार भूमियों में आने–जाने के लिए रास्ते को प्राथमिकता देते हुए विधिवत तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित हैं। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई जिसमें अधिवक्ता वादी ने बाई मिट्स एवं बाउन्डस तकासमा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा जवाब दावा, रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का तकासमा करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त हैं।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रा० डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूमि खाता संख्या 59 के आराजी खसरा नम्बर 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 222, 226, 229, 230, 231 का कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर वाके ग्राम बागा का बास, पटवार हल्का आलीसर, भू अभि. नि. क्षेत्र हस्तेडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये, रहवास एवं रास्ते को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. डिकी जारी हो। प्रा. डिकी की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

निर्णय आज तारीख 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिम्मत सिंह
आर.ए.एस
उपखण्डे अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रारम्भिक डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

1. मोहनलाल पुत्र घीसाराम, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र बींजा, जाति बलाई
2. गंगा देवी पत्नी भूराराम
3. हरबक्श पुत्र छोटूराम
4. रामलाल पुत्र बींजाराम
5. रूडा पुत्र बींजाराम

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम बागा का बास, आलीसर, तहसील चोमू, जि. जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन, कार्यालय चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
8. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा गोविन्दगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 107/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिकी दी जाती है कि विवादित भूमि खाता संख्या 59 के आराजी खसरा नम्बर 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 222, 226, 229, 230, 231 का कुल रकबा 6.20 हैक्टेयर वाके ग्राम बागा का बास, पटवार हल्का आलीसर, भू अभि. नि. क्षेत्र हस्तेडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये, रहवास एवं रास्ते को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. डिकी जारी हो। प्रा. डिकी की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

बसरहे मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.09.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत
ओहदा

मुददई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 09:06:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: